संख्या: सीपी 2/2018/262-84-2-2018-सीपी 29/2017

प्रेषक

शशि भूषण लाल सुशील
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निबंधक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 अक्टूबर, 2018

विषय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग / जिला उपभोक्ता फोरमो के मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों को निजी कार्य/ निजी व्यय पर विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 743/ एस.सी.डी.आर.सी./ अधि.61/ 15 दिनांक 25 अप्रैल 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों को व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्रदान किए जाने के लिए गाइडलाइन बनाए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- राज्य उपभोक्ता आयोग/जिला उपभोक्ता फोरमो के मा. अध्यक्ष एवं सदस्यों को निजी कार्य/ निजी व्यय पर विदेश यात्रा हेतु अनुमति प्रदान किए जाने हेतु शासन द्वारा लिए गए निम्न निर्णय से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) राज्य आयोग/ जिला फोरम के माननीय अध्यक्ष/ सदस्य यदि किसी के विरुद्ध अनुशासनिक /सतर्कता जांच प्रचलित हो, तो उसकी व्यक्तिगत विदेश यात्रा के संबंध में, समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए।

(2) राज्य आयोग/ जिला फोरम के ऐसे माननीय अध्यक्ष/ सदस्य को अनुमति प्रदान न की जाए, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

(3) राज्य आयोग/ जिला फोरम के ऐसे माननीय अध्यक्ष/ सदस्य को भी अनुमति प्रदान न की जाए, जिन्हें इससे पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अस्वीकृत किया गया हो और उक्त अस्वीकृति का आधार अभी विद्यमान हो।

(4) राज्य आयोग/ जिला फोरम के माननीय अध्यक्ष/ सदस्य को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए, कि संबंधित इससे पूर्व कब तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

(5) विशेष परिस्थितियों को छोड़करसामान्यतः राज्य आयोग / जिला फोरम के माननीय अध्यक्ष / सदस्य गण को विदेश में रहने की अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी।

(6) विदेश जाने वाले राज्य आयोग / जिला फोरम के माननीय अध्यक्ष/ सदस्यगण होने वाला व्यय अपने किस स्त्रोत से वहन करेंगे, आवेदन करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदन का स्तर-

(1) राज्य आयोग के सदस्य एवं जिला फोरम के मा. अध्यक्ष/ सदस्य जिनके सेवाभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालय में रखे जाते हैं, को विभागाध्यक्ष अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की जाए ।

(2) राज्य उपभोक्ता आयोग के मा. अध्यक्ष को मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की जाए।

3- कृपया निजी कार्य / निजी व्यय पर विदेश यात्रा के प्रकरणों पर शासन द्वारा निर्गत उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

शशि भूषण लाल सुशील
सचिव ।

संख्या: सीपी 262(1)-84-2-2018-सीपी 29/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
3. अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,उत्तर प्रदेश ।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रेमशंकर राय)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।